न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 18/2022 *(जी सी एम एस नम्बर 2022/30)*

उनवानी प्रकरण :–

मुन्नीदेवी पत्नी मुन्नालाल उम्र करीब 63 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 ——————*अपीलान्ट*

बनाम्

तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर ——————————*रेस्पोडेण्ट*

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1093 दिनांक 21.12.2004 बॉके ग्राम चितौरा आदेश तहसीलदार सैपऊ

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– *श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट*
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– *श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0*

निर्णय दिनांक : 17.10.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 1093 वाके ग्राम चितौरा तहसील सैंपऊ के 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार भरतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति बाढई निवासी चितौरा तहसील सैंपऊ थे। आराजी मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 1093 वाके ग्राम चितौरा में वर्णित भरतसिंह उपरोक्त का 1/6 हिस्सा जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 16.08.2004 को अपीलान्ट द्वारा कय किया है तथा मुताविक बिकय पत्र अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मुताविक बयनामा तारीखी 16.08.2004 अपीलाधीन आदेश पारित करते समय नामान्तकरण पंजिका में अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के बजाय बाढई दर्ज कर दी जो गलत है। उक्त आदेश से

असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार नामान्तकरण पंजिका में अंकित प्रविष्टियों की जांच पडताल सर्किल गिरदावर द्वारा नहीं की और ना ही तहसीलदार सैंपऊ द्वारा आदेश पारित करते समय किसी प्रकार बयनामा एवं नामान्तकरण पंजिका में अंकित प्रविष्टियों का ही मिलान नहीं किया। नामान्तकरण आदेश पारित करते समय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किसी प्रकार बयनामा बहक अपीलान्ट का अबलोकन नहीं किया। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल दुरूस्ती के है। अपीलाधीन नामान्तकरण में सदभावी लिपिकीय त्रुटिवश अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बाढई अंकित कर दी है जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हुई उक्त सदभावी लिपिकीय त्रुटि का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 25.03.2022 को हल्का पटवारी से हुआ उसी दिन दिनांक 25.03.2022 को नामान्तकरण आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र जिला अभिलेखागार धौलपुर में प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 29.03.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे शून्य आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1093 वांके ग्राम चितौरा आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 21.12.2004 मे वर्णित अपीलान्ट की जाति को दुरूस्त कर बाढई के स्थान पर ब्राहम्ण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 1093 वांके ग्राम चितौरा, नकल जमाबन्दी संबत 2076–79 खाता संख्या 49 ग्राम चितौरा, फोटो प्रति नकल बयनामा तारीखी 16.08.2004 वहक मुन्नीदेवी पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 25.03.2022 को हल्का पटवारी से हुआ हुआ। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0 पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट

मियाद बाहर पेश की गई है। अतः प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1093 में वर्णित भरतसिंह उपरोक्त का 1/6 हिस्सा जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 16.08.2004 को अपीलान्ट द्वारा क्रय किया है तथा मुताविक बिक्रय पत्र अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मुताविक बयनामा तारीखी 16.08.2004 अपीलाधीन आदेश पारित करते समय नामान्तकरण पंजिका में अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के बजाय बाढई दर्ज कर दी जो गलत है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा आदेश पारित करते समय किसी प्रकार बयनामा एवं नामान्तकरण पंजिका में अंकित प्रविष्टियों का मिलान नहीं किया। नामान्तकरण आदेश पारित करते समय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किसी प्रकार बयनामा बहक अपीलान्ट का अवलोकन नहीं किया। अपीलाधीन नामान्तकरण में सदभावी लिपिकीय त्रुटिवश अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बाढई अंकित कर दी है जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश मे अपीलान्ट की जाति बाढई के स्थान पर ब्राहम्ण अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बाढई अंकित कर दी है जो कि जॉच का विषय है। तहसीलदार द्वारा जॉच करने के उपरान्त जाति का अंकन शुद्व किया जा सकता है। प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1093 वाके ग्राम चितौरा में वर्णित भरतसिंह पुत्र गुमानसिंह का 1/6 हिस्सा जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 16.08.2004 को अपीलान्ट मुन्नीदेवी द्वारा क्रय किया है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा मुताविक बयनामा तारीखी 16.08.2004 अपीलाधीन आदेश पारित करते समय नामान्तकरण पंजिका में अपीलान्ट की जाति ब्राहम्ण के बजाय बाढई दर्ज कर दी जो गलत है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा आदेश पारित करते समय बयनामा एवं नामान्तकरण पंजिका में अंकित प्रविष्टियों का मिलान नहीं किया। अपीलान्ट की

जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बाढई अंकित कर दी गई जिसे शुद्व किया जावे। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नकल नामान्तकरण संख्या 1096 दिनांक 21.12.2004 वाके ग्राम चितौरा तहसील सैंपऊ का अवलोकन किया गया उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में भरतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति बाढई का 1/6 हिस्सा जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 16.08.2004 को अपीलान्ट मुन्नीदेवी द्वारा क्रय किया है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति पंजीबद्व बयनामा तारीखी 16.08.2004 का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट मुन्नीदेवी पत्नी मुन्नालाल की जाति ब्राहम्ण अंकित है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1096 में अपीलान्ट मुन्नीदेवी की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बाढई अंकित किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया तथ्यों के सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलान्ट की जाति की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1096 दिनांक 21.12.2004 वांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की जाति की जॉच कर उभयपक्षों को सुनकर सही जाति दर्ज करने हेतु पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)